न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला–ग्वालियर (म0प्र0)

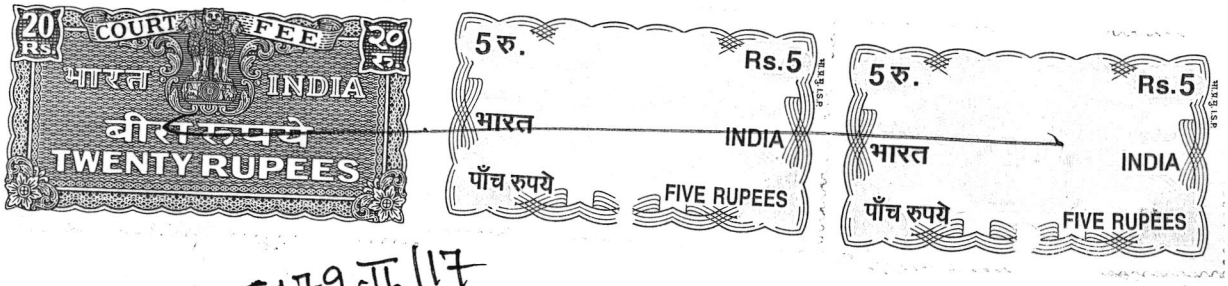

R 5179-III/17

अधि0 श्री ब्रजेन्द्र तिवारी द्वारा पेश 27-4-17

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

1. राजकुमार सिंह तनय स्व0 शेषमणि सिंह उम्र–62 वर्ष,

2. राघवेन्द्र सिंह तनय स्व0 शेषमणि सिंह उम्र–57 वर्ष,

3. कमलभान सिंह तनय स्व0 शेषमणि सिंह उम्र–50 वर्ष,

4. पुष्पेन्द्र सिंह तनय स्व0 शेषमणि सिंह उम्र–48 वर्ष,

सभी का पेशा खेती सभी निवासी ग्राम अमरवाह, तहसील गोपदबनास, जिला–सीधी (म0प्र0) ––––––निगरानीकर्ता/आपत्तिकर्तागण

बनाम

1. मुस0 ववनी बेवा पत्नी स्व0 मार्कण्डेय सिंह पुत्री स्व0 मनोरथ सिंह चौहान साकिन अमरवाह तहसील गोपदबनास, जिला–सीधी (म0प्र0)

2. मध्यप्रदेश शासन –––––गैरनिगरानीकर्ता/आवेदकगण

राजस्व पुनरीक्षण बाबत् न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार गोपदबनास वृत्त सेमरिया जिला–सीधी (म0प्र0) के प्रकरण क्रमांक 14/अ–5/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2017 अन्तर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

आवेदन पत्र/पुनरीक्षण के निम्न आधार है :–

क– यह कि आवेदित भूमि क्रमांक 911 एवं 923 निगरानीकर्ता के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमियाँ है जो निगरानीकर्ता/आपत्तिकर्तागणों के पिता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5179–दो/2017 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–6–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार गोपदबनास वृत्त सेमरिया जिला सीधी के प्रकरण कमांक 14/अ–5/12–13 में पारित आदेश दिनांक 20–3–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक ने मौके मुआयना एवं स्थल पंचनामा के आधार पर कब्ज के अनुसार नक्शा तरमीम की कार्यवाही को तहसीलदार ने अपने आदेश से पुष्टि की है। आवेदक द्वारा उठाई गई आपत्ति को तहसीलदार ने इस आधार पर निरस्त किया है कि आवेदित भूमियों के संबंध में किसी प्रकार की निषेधाज्ञा अथवा स्थगन नहीं है और नक्शा तरमीम की प्रकिया एक प्रशासनिक प्रकिया है। नक्शा तरमीम से स्वत्व का निराकरण नहीं होता है। तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही एवं आदेश में प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	